पटना उच्च न्यायालय में

**सिविल रिट अधिकारिता का मामला सं० 7291/2021**

घनश्याम सिंह @ घनश्याम प्रसाद सिंह, पिता– स्वर्गीय कृष्ण सिंह, ग्राम–मालकौली, वार्ड सं० 1 निवासी, पुलिस थाना– बगहा, जिला– पश्चिम चंपारण

याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अपर सचिव सह निदेशक, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. प्रमुख अभियंता, बाढ़ नियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, मुजफ्फरपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, मुजफ्फरपुर।
7. कार्यपालक अभियंता सह अधिग्रहण पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बगहा, पश्चिम चंपारण।
8. जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम चंपारण।
9. अनुमंडल मजिस्ट्रेट, बगहा, पश्चिम चंपारण।
10. अंचलाधिकारी, बगहा–II, पश्चिमी चंपारण।
11. जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण।

प्रतिवादी/यों

**उपस्थिति :**

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुरेश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता।

प्रतिवादी/यों के लिए : श्री राज किशोर रॉय (जीपी–18)

**कोरम : माननीय न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह**

**सीएवी का निर्णय**

**दिनांक : 27–11–2025**

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें निम्नलिखित राहतों की मांग की गई है :

3/12/25

(802



"यह कि वर्तमान आवेदन प्रतिवादियों को भुगतान करने का निर्देश देने के लिए दायर किया जा रहा है जिसमें बिहार राज्य द्वारा पत्थर बिछाने के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई याचिकाकर्ता की निम्नलिखित भूमि के लिए याचिकाकर्ता को मुआवजा दिया जाए। याचिकाकर्ता, थाना क्षेत्र के आवासानी ग्राम में खाता संख्या 115, प्लॉट संख्या 1, क्षेत्रफल 14 डेसिमल और मंगलपुर ग्राम, फेज संख्या 3 में खाता संख्या 160, खेड़ा संख्या 54, क्षेत्रफल 40 डेसिमल वाली भूमि का रैयत है। इस संबंध में प्रतिवादियों को उचित रिट और/आदेश और/या निर्देश जारी किए जाएं। याचिकाकर्ता को आवश्यक लागत, ब्याज और हर्जाना भी अदा करने का आदेश दिया जाए।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश प्रसाद शर्मा और विद्वान सरकारी अधिवक्ता (जीपी)–18 श्री राज किशोर रॉय उपस्थित थे और उनकी बात सुनी गई।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता, ग्राम आवासानी में स्थित खाता संख्या 115, प्लॉट संख्या 1, थाना संख्या 141 (जिसका क्षेत्रफल 14 डेसिमल है) और ग्राम मंगलपुर में स्थित खाता संख्या 160, खेसरा संख्या 54, थाना संख्या 142 (जिसका क्षेत्रफल 40 डेसिमल है) से संबंधित भूमि का रैयत है। बघा नगर को बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से पत्थर बिछाने के लिए याचिकाकर्ता और अन्य रैयतों को यह समझाया गया था कि उनकी भूमि बाढ़ नियंत्रण के लिए ली जाएगी और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता और अन्य रैयतों ने वर्ष 2014 और 2018 के बीच अपनी भूमि पर पत्थर बिछाने की अनुमति दी। वर्ष 2014 और 2018 के बीच, जब पत्थर बिछाने का काम चल रहा था, तब याचिकाकर्ता और अन्य रैयतों ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और अपनी भूमि के मुआवजे के भुगतान पर आपत्ति जताई। पत्थर बिछाने के दिनों से, यानी 2014 से 2018 तक, याचिकाकर्ता अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के भुगतान की मांग करता रहा है और अधिग्रहण के अन्य परिणामी लाभों के लिए भी प्रार्थना करता रहा है, लेकिन हर बार प्रतिवादियों ने उसे आश्वासन दिया कि मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है और उसे

उचित समय पर प्रदान कर दिया जाएगा। इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा 03.01.2018 को दायर एक अभ्यावेदन पर, सरकारी जल संसाधन विभाग के सचिव ने उक्त याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गंडक परियोजना, मुजफ्फरपुर को अग्रेषित किया। इसके जवाब में, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अपने ज्ञापन संख्या 228 दिनांक 12.03.2018 (अनुलग्नक–3) के माध्यम से पश्चिम चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर संबंधित भूमि के स्वामित्व और स्वामित्व पर उनकी रिपोर्ट मांगी, क्योंकि उनके अनुसार मुआवजे का भुगतान केवल इसी रिपोर्ट के बाद ही संभव था। लेकिन तब भी प्रतिवादियों द्वारा मुआवजे और अन्य परिणामी लाभों के अनुदान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता को 23.01.2020 को पता चला कि कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण, बगहा प्रशासन ने याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में मामले को उठाया और याचिकाकर्ता और अन्य रैयतों को मुआवज़ा आदि के भुगतान के लिए पश्चिम चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा तथा उनकी स्वीकृति भी मांगी। इसके बाद, बगहा के कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 14.02.2020 (अनुलग्नक –5) को स्थान के निरीक्षण के लिए छह सदस्यीय समिति के गठन का अनुरोध किया, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और याचिकाकर्ता की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है और उनकी आवासीय भूमि के अधिग्रहण के कारण उन्हें आवास की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि प्रारंभ में बगहा प्रशासन और बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, बगहा के सदस्यों में से छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में याचिकाकर्ता की भूमि को धान की खेती (कृषि, धान उगाना) के रूप में वर्णित किया था, जबकि याचिकाकर्ता की भूमि आवासीय है और इस संबंध में, उनकी भूमि और उससे सटे क्षेत्र से संबंधित पर्याप्त तस्वीरें याचिका के साथ संलग्न की गई हैं।

4. वहीं दूसरी ओर, राज्य–प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अवासानी गांव में स्थित खाता संख्या 115, प्लॉट संख्या 1 से संबंधित अपनी भूमि और साथ ही मंगलपुर गांव में स्थित भूमि के अधिग्रहण के लिए लिखित सहमति दी थी, जिसका खाता संख्या 160, खेसरा संख्या 54 और सहमति पत्रों की प्रतियां राज्य–प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा दायर प्रति हलफनामे के साथ संलग्न की गई हैं (अनुलग्नक– 'क')। पूर्वी चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी के कार्यपालक अभियंता ने पत्र संख्या

22 दिनांक 09.06.2016 के माध्यम से गंडक परियोजना, मुजफ्फरपुर के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को 10,43,06,040/– रुपये का भुगतान किया था, जो विभिन्न गांवों में 13.17 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए था, जिस पर वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2016–17 में पत्थर बिछाने का कार्य किया गया था। चूंकि भूमि का अधिग्रहण बिहार रैयती भूमि पट्टा नीति, 2014 के तहत किया जाना था, इसलिए विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने पश्चिम चंपारण के समाहर्ता को पत्र संख्या 1518–1522 दिनांक 14.10.2017 के माध्यम से अधिग्रहण के अधीन भूमि के स्वामित्व और प्रकृति से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिसके लिए एक अनुस्मारक भी भेजा गया था और उक्त रिपोर्ट समाहर्ता कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 623 दिनांक 20.10.2018 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी क्योंकि राज्य सरकार ने बिहार के जल संसाधन विभाग के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास निदेशालय के तहत स्थापित ऐसे कार्यालयों को भंग करने का नीतिगत निर्णय लिया था, और तदनुसार, उक्त कार्यालय 1 अक्टूबर 2019 से सभी समितियां भंग कर दी गईं। इसके बाद, मुआवजे की राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी गई और अभिलेखों को बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बगहा को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद, बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, बगहा के कार्यपालक अभियंता ने पत्र संख्या 111 दिनांक 14 फरवरी 2020 के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा से राजस्व विभाग के पत्र संख्या 1287 दिनांक 03.10.2017 के आलोक में अधिग्रहण के अधीन भूमि की प्रकृति का पता लगाने के लिए छह सदस्यीय समिति गठित करने का अनुरोध किया। इसके बाद, अनुमंडल पदाधिकारी ने समिति का गठन किया और स्थानीय निरीक्षण के लिए 6 मार्च 2020 की तिथि निर्धारित की। उस आदेश के अनुसार, छह सदस्यीय समिति ने 06.03. 2020 को स्थानीय निरीक्षण किया और उसी दिन निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अधिग्रहण के अधीन भूमि की प्रकृति का निर्धारण किया गया था, उक्त रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की भूमि कृषि योग्य है, और समिति की निरीक्षण रिपोर्ट को राज्य–प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से दायर प्रतिवाद हलफनामे के साथ अनुलग्नक–'ग' के रूप में संलग्न किया गया है। इसके बाद, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, बगहा ने पत्र संख्या 468 दिनांक 18.07.2020 के माध्यम से उप रजिस्ट्रार, बगहा से, प्रतिवाद हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 9 में विस्तृत रूप से वर्णित अनुसार, भूमि के अद्यतन

(259

न्यूनतम मूल्य दर (एमवीआर) को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। विभिन्न गांवों की जिन जमीनों का अधिग्रहण किया जाना था, उनके संबंध में उप रजिस्ट्रार, बगहा ने 05.02.2021 को आवश्यक रिपोर्ट उपलब्ध कराई। इसी आधार पर कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, बगहा ने ग्राम आवसानी के भूमि मालिकों को मुआवजे के भुगतान हेतु 29,52,000 रुपये का अनुमान तैयार किया और मंगलपुर गांव के भूमि मालिकों के लिए 1,06,69,600 रुपये का एक अन्य अनुमान तैयार किया गया। इसके बाद, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी विभाग के मुख्य अभियंता ने इसकी तकनीकी स्वीकृति प्रदान की और इसे पत्र संख्या 1768 दिनांक 08.08.2021 (प्रति–शपथपत्र का अनुलग्नक –'ई') के माध्यम से बिहार जल संसाधन विभाग, पटना को कार्यपालक अभियंता को निधि आवंटन हेतु अग्रेषित किया। विभागीय पत्र संख्या 92 और 93 दिनांक 07.02.2022 (प्रति–शपथपत्र का अनुलग्नक –'एफ') के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को आवश्यक निधि उपलब्ध कराई गई। अब, याचिकाकर्ता और आवासानी एवं मंगलपुर गांवों के अन्य भूस्वामियों को मुआवजे के भुगतान हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने अंत में निवेदन किया कि इस न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, मुजफ्फरपुर और अन्य की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया है, जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर प्रति–शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 4 में विस्तृत रूप से वर्णित है। बेतिया स्थित पश्चिम चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट (प्रतिवादी संख्या 8) को याचिकाकर्ता सहित प्रभावित व्यक्तियों की उपस्थिति में स्थल का दौरा और निरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। याचिकाकर्ता और अन्य लाभार्थियों को पत्र के माध्यम से समिति के गठन और स्थल के निरीक्षण की तिथि और समय के बारे में सूचित किया गया था और याचिकाकर्ता ने उक्त पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए अपने लिखित रूप में 'दिनांक 30.03.2024 को प्राप्त' लिखा है (अनुलग्नक –आर/3)। अंततः, 06.04.2024 को समिति द्वारा याचिकाकर्ता और अन्य लाभार्थियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान निरीक्षण की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। तदनुसार, रिपोर्ट (अनुलग्नक–आर/6) तैयार की गई और समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित की गई। इसे 13.04.2024 को समाहर्ता, पश्चिम चंपारण, बेतिया द्वारा अनुमोदित किया गया। इस संबंध में, समिति की मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट, तस्वीरों और वीडियो (एक पेनड्राइव में) के साथ, प्रतिवादी संख्या

अनुज्ञा

8 द्वारा दायर प्रति हलफनामे के साथ संलग्न की गई है। उक्त मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मौजा आवासानी में स्थित याचिकाकर्ता की भूमि को कृषि भूमि घोषित किया गया है और मौजा मंगलपुर में स्थित याचिकाकर्ता की अन्य भूमि के संबंध में भी यही प्रकृति घोषित की गई है। समिति ने पाया कि याचिकाकर्ता की मौजा मंगलपुर में स्थित 40 डेसिमल भूमि खतियान में धनहर किला 1 के रूप में उल्लिखित है और यह भूमि कृषि योग्य है तथा याचिकाकर्ता की मौजा आवासानी में स्थित 14 डेसिमल की अन्य भूमि खतियान में खराउल के रूप में उल्लिखित है और यह भूमि भी कृषि योग्य है।

5. दोनों पक्षों की बात सुनी और दोनों पक्षों के बयानों का अध्ययन किया। यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता की भूमि का अधिग्रहण पत्थर बिछाने के उद्देश्य से किया गया है और यह अधिग्रहण वर्ष 2017 में याचिकाकर्ता द्वारा अपनी सहमति पत्र (प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से दायर प्रति हलफनामे का अनुलग्नक–ए) के माध्यम से अधिग्रहण के लिए सहमति देने के बाद हुआ था। यह भी स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को अभी तक अधिग्रहित भूमि के संबंध में कोई मुआवजा नहीं मिला है। यद्यपि राज्य–प्रतिवादियों ने मुआवजे के निर्धारण के लिए आवश्यक समिति गठित करके कई प्रक्रियात्मक कदम उठाए जाने और अधिग्रहित भूमि की प्रकृति का विवरण दिया है, फिर भी याचिकाकर्ता को मुआवजा देने और तय करने में अनुचित रूप से अत्यधिक देरी हुई है। याचिकाकर्ता की भूमि की प्रकृति के संबंध में, इस निर्देश पर उसकी भूमि का निरीक्षण किया गया है। न्यायालय द्वारा गठित छह सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट (अनुलग्नक–'आर/6') प्रस्तुत की है, जिसका विस्तृत विवरण पश्चिम चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट (प्रतिवादी संख्या 8) द्वारा दायर प्रति–हलफनामे में दिया गया है। इससे पहले एक अन्य समिति ने भी अधिग्रहित भूमि की प्रकृति के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी। नवगठित समिति द्वारा याचिकाकर्ता की भूमि की प्रकृति का पता लगाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण पश्चिम चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट–सह–समाहर्ता द्वारा दिनांक 26.04.2024 को प्रस्तुत प्रति–हलफनामे में दिया गया है, जिसे प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया है। न्यायालय को याचिकाकर्ता की भूमि की प्रकृति के संबंध में उक्त समिति के निष्कर्ष पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता है। लेकिन राज्य–प्रतिवादियों का यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के प्रयासों के बावजूद मुआवजा नहीं मिला और मुआवजे की राशि प्राप्त करने के साथ–साथ उसकी मात्रा और स्वीकृति तय

(737

करने के लिए उठाए गए प्रक्रियात्मक कदम, जैसा कि प्रति हलफनामे में विस्तार से बताया गया है, याचिकाकर्ता को मुआवजा देने में हुई अत्यधिक देरी को उचित ठहराने का कोई उचित कारण नहीं माना जा सकता। अतः, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, राज्य–प्रतिवादियों को इस आदेश की तिथि से अगले दो महीनों के भीतर याचिकाकर्ता की भूमि के संबंध में मुआवजे का निर्णय लेने और उसे प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता और अन्य सभी पात्र व्यक्तियों को कानून के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। याचिकाकर्ता और अन्य पात्र व्यक्तियों को अधिग्रहण की तिथि से इस आदेश की तिथि तक प्रचलित कानून के प्रावधानों के अनुसार ब्याज दिया जाएगा। यदि राज्य–प्रतिवादी उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता और अन्य लाभार्थियों को संबंधित भूमि के संबंध में मुआवजा देने में विफल रहते हैं, तो याचिकाकर्ता और अन्य लाभार्थी मुआवजे की राशि पर भुगतान की तिथि तक संबंधित राज्य–प्रतिवादियों से दुगुनी दर से ब्याज प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसे संबंधित विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों से वसूल किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता और अन्य लाभार्थियों को कानून के प्रावधानों के अनुसार अभी तैयार किए जाने वाले अवार्ड को चुनौती देने का अधिकार होगा।

**(शैलेन्द्र सिंह, जे)**

अन्नु/–

| | |
|---|---|
| **एएफआर/एनएएफआर** | एएफआर |
| **सीएवी तिथि** | 13.11.2025 |
| **अपलोड करने की तिथि** | 27.11,2025 |
| **संचरण तिथि** | एनए |

3/12/25